राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(5)राज-6/2001/32 . जयपुर, दिनांक:- 28-5-2002

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 90-क के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 5-क का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 5-क में की विद्यमान अभिव्यक्ति " 1000 वर्गमीटर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2500 वर्गमीटर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/राजस्वमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर ।
4. निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी (कम्प्यूटर्स विभाग।
5. निदेशक, आर. आर. टी. आई. अजमेर ।
6. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 28-5-2002 में प्रकाशनार्थ ।
8. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर
9. शासन उप सचिव, राजस्व विभाग 1, 2, 3, (
9. विधि संहिताकरण विभाग
10. उप निबन्धक (वि. एवं लेखा) [illegible]